कमला देवी बनाम भूमिधारी
प्रा0 पत्र अदला बदली
मु0नं0 15/2025

01/09/25 पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुयी। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील अनु0 अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश करने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण का सार इस प्रकार है कि –

- राजस्व ग्राम परसरामपुरा में भूमि खसरा नं0 3352/313 रकबा 1.2772 हैक्टे0 प्रथम पक्ष की खातेदारी भूमियां है तथा खसरा नं0 3353/313 रकबा 1.3238 हैक्टे0 में हिस्सा 720/6619, खसरा नं0 1027/2 रकबा 4.5332 में हिस्सा 725/6476, 1025/2 रकबा 1.2680 हैक्टे0, 1026 रकबा 0.01 हैक्टे0, 1028 रकबा 0.05 हैक्टे0, 1029 रकबा 0.07 हैक्टे0, 1030 रकबा 0.04 हैक्टे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4380 हैक्टे0 में से 881/7120 हिस्से की खातेदारी द्वितीय पक्ष की है।
- यह कि प्रथम पक्षकार आपस में अपनी भूमियों को इकजाही करने के लिये प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 (ए), 3 (बी) में वर्णितानुसार 0.2772 हैक्टे0 भूमी परस्पर अदला बदली करना चाहते है।
- विनिमय की जाने वाली भूयिां एक ही राजस्व ग्राम में स्थित है।
- प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अदला बदली पेश कर मौके पर प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 (ए), 3 (बी) में वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया।
- **धारा 49. Exchange for consolidation—**
  (1) A Khatedar tenant who wishes to consolidate the area which he cultivates may supply to the Assistant Collector to exchange any portion of the land which he cultivates for land cultivated by another Khatedar tenant.
  (2) If on receipt of an application under sub-section (1), the Assistant Collector is satisfied after making enquiry in the prescribed manner that reasonable grounds exist, he may grant such application either in whole or in part and allot to the other tenant land cultivated by the applicant which is approximately equal in value to and is of

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर) (seal)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.09.25 10:05:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

कमला देवी बना
प्रा0 पत्र अदल
मु0नं0 15/

same quality as the land received by the applicant.

- विनिमय की जाने वाली भूमियां पक्षकारान की अन्य भूमियों के समीप स्थित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। परन्तु राजहित में विनिमय की जाने वाली भूमियों में से एक पक्ष की भूमी पर विनिमय का मुद्रांक शुल्क अदा किये जाने की शर्त पर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णित किया जाता है व तहसीलदार रींगस को आदेशित किया जाता है कि विनिमय की जाने वाली भूमियों में अधिक मूल्य की भूमि रकबा 0.2772 हैक्टे0 भूमि की वर्तमान डीएलसी दर अनुसार मुद्रांक शुल्क अदा किये जाने पर राजस्व ग्राम परसरामपुरा स्थित भूमि खसरा नं0 3352/313 रकबा 1.2772 हैक्टे0 में से 693/3193 51 हिस्से की खातेदारी से प्रथम पक्ष का नाम हजफ कर द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज की जावें। व राजस्व ग्राम परसरामपुरा स्थित भूमि खसरा नं0 3353/313 रकबा 1.3238 हैक्टे0 में हिस्सा 720/6619 के 25/36 हिस्से, खसरा नं0 1027/2 रकबा 4.5332 में हिस्सा 725/6476 के 872/5075 हिस्से, खसरा नं0 1025/2 रकबा 1.2680 हैक्टे0 में हिस्सा 881/7120 का 300/593 हिस्से, 1026 रकबा 0.01 हैक्टे0 में हिस्सा 881/7120 का 300/593 हिस्से, 1028 रकबा 0.05 हैक्टे0 में हिस्सा 881/7120 का 300/593 हिस्से, 1029 रकबा 0.07 हैक्टे0 में हिस्सा 881/7120 का 300/593 हिस्से, 1030 रकबा 0.04 हैक्टे0 में हिस्सा 881/7120 का [illegible] हिस्से की खातेदारी से द्वितीय पक्ष का नाम हजफ कर प्रथम पक्ष के नाम दर्ज की जावें। विनिमय [illegible] भूमियों में पूर्व का दर्ज रहन सम्बन्धित पक्षकार की विनिमय में आयी भूमि पर रहन दर्ज किया जावें। राजस्व रिकार्ड में शेष प्रविष्टियां बदस्तूर रहेगी। तहसीलदार रींगस को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.09.25 10:05:40 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)